

महापंच अजमेर 2023 के आदेशानुसार दि. 01/01/23 के कोर्ट
 तिथि से पूर्व सल्लय कर प्राप्त पत्रावली को कोर्ट
 स्थल पर रखा जाता है। सन्वन्धित पत्रावली में अनिश्चित
 को सूचित किया गया। पत्रावली दिनांक 01/01/23
 को कोर्ट में पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 किशनगढ़ (अजमेर)

हेतु प्रेरित किया गया, किन्तु पत्रावली में सहीमात्रा पत्रावली
 सहमति नहीं हुई। अतः पत्रावली पुनः न्यायालय में कार्यवाही
 हेतु लौटाई जाती है। पत्रावली दिनांक 20/01/23
 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 किशनगढ़ (अजमेर)

20/01/23 पत्रावली पेश हुई। तत्काल पदाकारान उप
 में ओ. साहब दौर/अतकाणम-पधार हैं। अत
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 20/01/23

27/01/23 पत्रावली पेश हुई। तत्काल पदाकारान उप
 में ओ. साहब दौर/अतकाणम-पधार हैं। अत
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 27/01/23

9/1/24 पत्रावली पेश हुई। तत्काल पदाकारान उप
 में ओ. साहब दौर/अतकाणम-पधार हैं। अत
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 09/01/24

पत्रावली नियत दिनांक 25/01/24 से पूर्व/बाद में
 न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरणों में सुनवाई हेतु पत्रित
 आदेश अनुसार आगामी नियत दिनांक 04/03/24
 को पेश हो।

आदेशानुसार
 रीडर
 उपखण्ड अधिकारी
 किशनगढ़ (अजमेर)

दिनांक 04/03/24
 पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो.
 किशनगढ़ द्वारा कार्य का रेंधान
 रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा.
 को समक्ष दि. 04/03/24 को पेश हो।

C/No. - 116/22

08/05/24 पत्रावली पेश हुई। वकील हाथी अ. नही व नील
 हाथी को न्यायालय में उप. होने हेतु -धारित में
 एक अ-तीम अवलर किया जाता है। पत्रावली दि. 09/05/24
 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
 किशनगढ़ (अजमेर)

C/No - 116/22

09/05/24 पत्रावली पेश हुई। वकील हाथी अ. नही व नील हाथी
 को रूक-रुक कर 5.30 P.M. तक आवाज लगावई गई। व नील
 हाथी या उनका कोई प्रतिनिधि उप. नहीं। अतः हाथी के
 हाथीना पत्र को अदल देरकी अदल हाजरी में जा रिज किया
 जाता है। पत्रावली पत्रावली शुमार होकर पत्रावली
 नम्बर से नम हो।

उपखण्ड अधिकारी
 किशनगढ़ (अजमेर)